29-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किये शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य राजीनामा पूर्व में पेश किया जा चुका है प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होने से उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3-9-19 को पेश हो।

3-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया जाकर डिक्री जारी की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अ
ासीन अधिकारी :– कपिल
जस्व वाद संख्या :– 158/2
1 गुरप्रेमसिंह पुत्र बग्गासि
जिला हनुमानगढ।
1 बग्गासिंह पुत्र नन्दरि
हनुमानगढ।
2 बूटासिंह पुत्र बग्गारि
हनुमानगढ।
3 सुखजीतकौर पत्नी ज
वाला तहसील संगरिय
4 हरजीत कौर पत्नी ज
वाला तहसील संगरिय
5 एस.बी.आई. बैक शाख
दावा अन्त

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधि
2. श्री अमरकिसिंह अधिव

वादी द्वारा प्रतिवादीग
न्यायालय में प्रस्तुत कि
वाके चक 6 के.के.डब्ल्
राजस्व रिकार्ड है। नव
त 2074 से 2077 हमराह
अर्जीदावा की दफा
के फौत होनें के पश्चात
उपरोक्त वर्णित भूमि
या 2 ता 4 को बर्थ राई
इसलिये मुझ वादी व प्र
वारा कर लिया है तथा
प्त अपने हक हिस्सा
दिया। प्रतिवादीयागण
वादी संख्या 1 व 2 ने
2 में वर्णित वाके चक
ासिंह के नाम 4.352 है
हकदार है। परन्तु राज
होनें के कारण मुझ वा
गा इस अमर की प्राप्त
/150 में प्रतिवादी संख्या

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 158/2019

1 गुरप्रेमसिंह पुत्र बग्गासिंह पुत्र नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 बग्गासिंह पुत्र नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 बूटासिंह पुत्र बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 सुखजीतकौर पत्नी जगतारसिंह पुत्री बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी बख्तावरसिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4 हरजीत कौर पत्नी जगदेवसिंह पुत्री बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी बख्तावरसिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5 एस.बी.आई. बैक शाखा हनुमानगढ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 03.09.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता बग्गासिंह के नाम वाके चक 6 के.के.डब्ल्यू. खाता संख्या 90/150 मे 4.352 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 6 के.के.डब्ल्यू. खाता संख्या 90/150 सम्वत 2074 से 2077 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 3 में वर्णित पूर्व में मुझ वादी के दादा नन्दसिंह की भूमि थी जो उनके फौत होनें के पश्चात बसिलसिला विरास्तन प्रतिवादी संख्या 1 बग्गासिंह पर औद हुई चूंकि उपरोक्त वर्णित भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को बर्थ राईट हासिल है, चूंकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है। इसलिये मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 में अपनें हक व हिस्सा की भूमि का घरू बंटवारा कर लिया है तथा घरू बंटवारा के पश्चात् प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 ने घरू बंटवारा में प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग कर दिया। प्रतिवादीयागण संख्या 3 व 4 के हक त्याग करने के पश्चात् मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने घरू बंटवारा कर लिया है मुताबिक घरू बंटवारा अर्जीदावा की दफा 2 में वर्णित वाके चक 6 के.के.डब्ल्यू. खाता संख्या 90/150 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 बग्गासिंह के नाम 4.352 हैक्टर भूमि में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के हकदार है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी तक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम होनें के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है। अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करनें का अधिकारी है, कि वाके चक 6 के.के.डब्ल्यू. खाता संख्या 90/150 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.352 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है :–

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

वादी ने प्रतिवादीगण से उनके हक हिस्सा अनुसार घोषणा करवानें व बंटवारा अनुसार खाता तकसीम करानें का कहा तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे परन्तु आज से करीब 10 रोज पूर्व मुकाम जोड़कियां मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 5 के यहां भूमि रहन होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वाके चक 6 के.के.डब्ल्यू. खाता संख्या 90/150 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.352 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है,

(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 12.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण मे हम पक्षकारान का राजीनामा हो गया है। वादी के पिता बग्गासिंह के नाम वाके चक नम्बर 6 के.के.डब्ल्यू. खाता संख्या 90/150 मे 4.352 मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वर्णित भूमि पूर्व में वादी के दादा नन्दसिंह की भूमि थी जो उनके फौत होनें के पश्चात बसिलसिला विरास्तन प्रतिवादी संख्या 1 बग्गासिंह पर आैद हुई चूंकि उपरोक्त वर्णित भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को वर्थ राईट हासिल है, चूंकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है। इसलिये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 में अपनें हक व हिस्सा की भूमि का घरू बंटवारा कर लिया है, घरू बंटवारा होनें पर प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग कर दिया। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के हक त्याग करने के पश्चात् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने घरू बंटवारा कर लिया है मुताबिक घरू बंटवारा उक्त वर्णित भूमि वाके चक 6 के.के.डब्ल्यू. खाता संख्या 90/150 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 बग्गासिंह के नाम 4.352 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के हकदार है। वाके चक 6 के.के.डब्ल्यू. के खाता संख्या 90/150 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.352 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जावे तो हम पक्षकारान पूर्णतया सहमत है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये किये गये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 3

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 03.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन: सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

6

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 158/2019

1 गुरप्रेमसिंह पुत्र बग्गासिंह पुत्र नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ। — — **वादी**

—:: बनाम ::—

1 बग्गासिंह पुत्र नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ।

2 बूटासिंह पुत्र बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ।

3 सुखजीतकौर पत्नी जगतारसिंह पुत्री बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी बख्तावरसिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4 हरजीत कौर पत्नी जगदेवसिंह पुत्री बग्गासिंह जाति जटसिख निवासी बख्तावरसिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

5 एस.बी.आई. बैक शाखा हनुमानगढ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक। — — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 03.09.2019

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 03.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 बग्गासिंह के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 6 के.के. डब्ल्यू. के खाता संख्या 90/150 में दर्ज 4.352 हैक्टर में वादी संख्या 1 गुरप्रेमसिंह पुत्र बग्गासिंह, प्रतिवादी संख्या 1 बग्गासिंह पुत्र नन्दसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 बूटासिह पुत्र बग्गासिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 03.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

—:: वाद के खर्चे ::—

Scanned by CamScanner